न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील डिक्री/टि.ए./1794/2006/हनुमानगढ

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती बुगी देवी पत्नी हनुमान जाति विश्नोई निवासी थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. गुरमीतो पुत्री धर्मीराम पत्नी प्रकाशसिंह जाति रधुदासिया निवासी इ0गा0न0प0 कॉलोनी फलौदी तहसील फलौदी जिला जोधपुर।
3. सीशो पुत्री धर्मीराम पत्नी गुरदेवसिंह जाति रधुदासिया निवासी लोहगढ तहसील फिल्लोर जिला जालन्धर (पंजाब)
4. केवलराम पुत्री धर्मीराम जाति रधुदासिया निवासी गडा तहसील तहसील फिल्लोर जिला जालन्धर (पंजाब)
5. बिन्द्रपाल पुत्र धर्मीराम जाति रधुदासिया निवासी गडा तहसील तहसील फिल्लोर जिला जालन्धर (पंजाब)
6. ताराचन्द पुत्र धर्मीराम जाति रधुदासिया निवासी गडा तहसील तहसील फिल्लोर जिला जालन्धर (पंजाब)

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री सूरजभान जैमन, सदस्य

उपस्थितिः—

1. श्री वी.पी.सिंह राजावत, राजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री शशिकान्त जोशी, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 6

<u>निर्णय</u> दिनांक :—5—7—2018

1. अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के द्वारा अपील संख्या 63/2002 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के सारगर्भीत तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी राज्य सरकार ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के तहत् दिनांक 20.10.1975 को सहायक जिलाधीश हनुमानगढ के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 1 धर्मीराम पुत्र नत्थाराम, जो कि हरिजन जाति का है, ने अपनी अभिलिखित खातेदारी की आराजी चक 10 एल.के.एस. के पत्थर न0 9/290 मुरब्बा न0 55 के किला नम्बर क्रमशः 18 रकबा 10 बिस्वा, 19 रकबा 1 बीधा व 20 ता 25 रकबा 6 बीधा कुल रकबा 7 बीधा 10 बिस्वा भूमी का बैचान जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 30.11.1971 से प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती बुगी देवी पत्नी हनुमान जाति विश्नोई को कर दिया है, जिससे धारा 42–बी अधिनियम, 1955 का उल्लधंन हुआ है इसलिए विवादित आराजी का खाता जब्त किया जाकर विपक्षीगण को बेदखल फरमाया जाये। बाद सूचना प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए। धर्मीराम के अभिभाषक द्वारा हिदायत पैरवी न होने का कथन करने पर विचारण न्यायालय ने उसके विरूद्ध दिनांक 25.05.1988 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी। प्रतिवादी संख्या 2 बुगी देवी ने अपना जवाब दावा दिनांक 04.09.1989 को पेश कर वादपत्र मे अंकित कथनो को अस्वीकार किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.1989 को चार तनकियात कायम किये गये। दौराने प्रकरण धर्मीराम को विचारण न्यायालय से पुनः नोटिस जारी होने पर उसका पुत्र ताराचन्द हाजिर अदालत आकर धर्मीराम के फौतगी की सूचना न्यायालय को प्रदान कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दिवानी दिनांक 24.09.1996 को प्रस्तुत किया। तत्उपरान्त जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 01.12.1998 की अनुपालना मे मूल वादपत्र की पत्रावली सहायक जिलाधीश हनुमानगढ से दिनांक 22.01.1999 को सहायक जिलाधीश पीलीबंगा को स्थानान्तरीत कर दी गयी। पत्रावली सहायक जिलाधीश पीलीबंगा को प्राप्त होने पर उन्होने उभयपक्षो की बहस सुनकर अपने निर्यण व डिक्री दिनांक 22.04.2002 से अपीलार्थी राज्य सरकार का वादपत्र स्वीकार करते हुए वादाधीन भूमी को रकबा राज

दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 2 को बेदखल करने के आदेश जारी कर दिये, जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 बुगी देवी द्वारा एक प्रथम अपील संख्या 63/2002 अधिनियम 1955 की धारा 223 के तहत् राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष पेश कि गयी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उभय पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण तनकीवार करते हुए प्रस्तुत प्रकरण में अधिनियम 1955 की धारा 42—बी का उल्लधंन नही होना मानते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2005 से प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती बुगी देवी की प्रथम अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2002 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी राज्य सरकार का वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 अधिनियम 1955 को खारिज कर दिया। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2005 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. राजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में जो विक्रय पत्र पंजीबद्ध हुआ है वह अनुसूचित जाति के व्यक्ति से गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को होने से स्पष्टतया धारा 42—बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के उल्लधंन में था, इस कारण विचारण न्यायालय ने सही निर्णय व डिक्री पारित कर विवादित रकबे को सही तौर पर रिज्यूम करने का आदेश दिया है, जिसे निरस्त कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कानूनी भूल की है। उनका कथन है कि धर्मीराम जिसके वारिसान रेस्पोडेन्टस है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जो मेधवाल है एवं यह तथ्य अदालत तहत् के समक्ष ली गयी साक्ष्य से पूर्णतया साबित है कि धर्मीराम अनुसूचित जाति का व्यक्ति है इस कारण एक स्वीकृत तथ्य को अन्य किसी साक्ष्य से सिद्ध करने की आवश्यकता नही थी, किन्तु अधिनस्थ

अपीलीय न्यायालय ने इसे नही मानकर निर्णय प्रदान करने में भूल की है। उनका कथन है कि मेधवाल को हरिजन कहा जाता है इस कारण हरिजन रिकार्ड मे दर्ज होने से यह नही माना जा सकता की वह मेधवाल नही है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोडेन्टस द्वारा पेश आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र को स्पष्ट आदेश के बिना स्वीकार किया है और रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त को भी गलत लागू किया है। अपील पेश करने मे हुए विलम्ब के संबंध मे राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि तहसीलदार पीलीबंगा के राजकीय व प्रशासनिक कार्यो मे अतिव्यस्त होने से द्वितीय अपील विलम्ब से पेश हुई है इसलिए विलम्ब के कारण सन्तोषजनक व सद्भाविक होने से विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील का निर्णय गुण दोष के आधार पर करना उचित है, अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2005 को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.04.2002 की पुष्टि की जावे।

5. इसके विपरित प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अनुसूचित जाति की जो जातियां अधिसूचना में अंकित है, उसी जाति के व्यक्तियो को अनुसूचित जाति का सदस्य माना जावेगा अन्य जाति के व्यक्तियो को अनुसूचित जाति का सदस्य होना नही माना जा सकता है, चुंकि प्रस्तुत प्रकरण में विक्रेता धर्मीराम की जाति "रधुदासिया" है जो राजस्थान राज्य में अनुसूचित जातियो की अधिसूचना में अंकित नही है इसलिए ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42—बी का उल्लंघन होना नही माना जा सकता है। उनका कथन है कि राज्य सरकार ने अपने दावे के समर्थन में मात्र दो दस्तावेज पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.11.1971 की हस्तलिखित प्रति एवं जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029 पेश की है एवं विक्रय पत्र में धर्मीराम की जाति "हिन्दू" अंकित है, जो जाति न होकर धर्म है और जमाबन्दी में धर्मीराम की जाति "हरिजन" अंकित है जो

अनुसूचित जाति के सदस्यो के लिए व्यापक अर्थ में काम मे लिया जाता है किन्तु यह आवश्यक नही है कि अन्य राज्य की कोई अनुसूचित जाति अथवा हरिजन राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति की अधिसूचना में सम्मिलित हो। उनका कथन है कि दावे के समर्थन में राज्य सरकार ने इन दोनो साक्ष्यो के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य पेश नही किया है, और इन दोनो साक्ष्यो से राज्य सरकार का दावा सुसाबित नही होता है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वादपत्र में दिनांक 25.09.1989 को चार तनकीयात कायम की गयी थी, परन्तु निर्णय में कोई तनकी नही बनाये जाने का गलत हवाला देकर विचारण न्यायालय ने स्वयं में विरोधाभाषी निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि तनकी कायम हो जाने के पश्चात जाप्ता दिवानी के आदेश 20 नियम 5 के अनुसार विचारण न्यायालय तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु आबद्ध था, अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जाप्ता दिवानी के उक्त प्रावधान के प्रतिकुल होने से भी उचित निर्णय नही है। उनका कथन है कि वादी राज्य सरकार ने अपने दावे में प्रतिवादी संख्या 1 धर्मीराम को हरिजन बताया है जबकि धर्मीराम के वारिसान अपनी जाति रधुदासिया होना दर्ज किया है तथा विचारण न्यायालय के समक्ष धर्मीराम के वारिसान द्वारा प्रस्तुत कायम मुकामान के प्रार्थना पत्र एवं हल्फनामा तथा तस्दीकशुद्दा मुख्तारनामे क्रमशः दिनांक 19.03.1996 व 23.09.1996 में भी जाति रधुदासिया अंकित की हुई है इसलिए पंजीकृत विक्रय पत्र धारा 42—बी अधिनियम 1955 से प्रभावित होना सिद्ध नही होता है। उनका कथन है कि वादग्रस्त भूमी के संबंध में राज्य सरकार का समान दावा समान अधिनियम के तहत् मिशल संख्या 122 / 1976 उनवानी "स्टेट बनाम धर्मी" उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा तनकीवार निर्णय दिनांक 27.04.1983 से खारिज किया जा चुका है जिसकी कोई अपील आदि न होने से उक्त निर्णय इस बिन्दू के बाद अंतिम हो चुका है जिसे राज्य सरकार पुनः उठाने से विबंधित है और उक्त निर्णय उसी विषय वस्तु के संबंध में रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त के तौर पर लागू होता है। उनका कथन है कि पूर्ववर्ति निर्णय दिनांक 27.04.1983 की प्रति विचारण न्यायालय के समक्ष भी पेश की गयी

थी जो विचारण न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 29.06.1988 से स्पष्ट है किन्तु विचारण न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में इसे अनदेखा कर तात्वीक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है उक्त पूर्ववर्ती निर्णय की प्रमाणित प्रति को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी के साथ पुनः पेश किये जाने पर अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने रिकार्ड पर लेकर कोई त्रुटि कारित नही की है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने मृतक धर्मीराम के वारिसान को बिना रिकार्ड पर लिये आदेश पारित किया है जो शुन्य है, जो बैयनामा अधीनस्थ न्यायालय मे पेश हुआ है वह साक्ष्य मे ग्राहय भी नही है, जमाबन्दी पर पटवारी हल्का व तहसीलदार के हस्ताक्षर नही थे, उनके द्वारा दस्तावेज को साबित नही करवाया गया है दावे की ताईद मे कोई साक्ष्य पेश नही हुआ है जबकि वादी को स्वयं को साक्ष्य स्वरूप न्यायालय मे पेश होना चाहिए था। उनका कथन है कि अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा राज पैरोकार की मौजूदगी मे पारित किया गया इसलिए यह अपील जानकारी के बावजूद लापरवाही पूर्वक विलम्ब से पेश कि गई है जो विलम्ब के बिन्दू पर भी निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान मे रखते हुए पत्रावली पर मौजूद समस्त साक्ष्य का विश्लेषण एवं विवेचन तनकीवार करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री सही तौर पर पारित करते हुए विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री अपास्त की है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी नही होने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप द्वितीय अपील के माध्यम से किया जाना न्यायोचित नही है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने कथनो के समर्थन में 1969 ए. आई.आर. 597 (एस.सी.) , 2018 आर.बी.जे. 193, 1981 आर.आर.डी. 571, 2007 (1) आर.आर.टी. 230, 2001 आर.बी.जे. 455, 1990 आर. आर.सी. 321, 1991 आर.आर.डी. 342, 1998 आर.आर.डी. 443, 1989 आर.आर.डी. 625, 1982 आर.आर.डी. 234, 2016 (2) आर.आर.टी. 1110 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

6. इसके अतिरिक्त योग्य अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 6 ने अपनी बहस मे कथन किया कि हमारे पिता विक्रेता धर्मीराम और हम वारीसान रधुदासिया जाति से है जो राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति मे नही आती है और धर्मीराम द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत विक्रय पत्र विधि अनुकुल है जिसका सही तौर पर परिक्षण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने किया है इसलिए यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

7. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयो से प्राप्त रिकार्ड व प्रस्तुत कानूनी नजीरों का बारीकी से अध्ययन किया।

8. चूँकि राज्य सरकार ने यह द्वितीय अपील निर्धारित परिसीमा अवधि से बाहर धारा 5 मियाद अधिनियम के सशपथ प्रार्थना पत्र के साथ मण्डल के समक्ष विलम्ब से पेश की है, जिसमे कारित विलम्ब बाबत् समूचित व पर्याप्त कारण भी दर्शित किये गये है जिसके खण्डन में प्रत्यर्थीगण द्वारा मौखिक बहस के अतिरिक्त जवाब या काउण्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है चूकि प्रकरण का निस्तारण गुण–दोष पर श्रेयस्कर होने से धारा 5 मियाद अधिनियम का सशपथ प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. अधीनस्थ न्यायालयो की पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन तहसीलदार, सूरतगढ ने सहायक जिलाधीश, हनुमानगढ के समक्ष एक वादपत्र संख्या 188/1975 अन्तर्गत धारा 175 अधिनियम, 1955 के तहत् प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 धर्मीराम पुत्र नत्थाराम, जो कि हरिजन जाति का है, ने अपनी अभिलिखित खातेदारी की आराजी मे से 7 बीधा 10 बिस्वा वादाधीन भूमि का बैचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.11.1971 से प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती बूगी देवी को कर दिया है, जिससे धारा 42–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लंधन हुआ है इसलिए वादाधीन भूमि का खाता जब्त किया जाकर तमाम् गैर सायलान को बेखदल किया जाये। क्षेत्राधिकार व तहसील

परिवर्तन होने से मूल वादपत्र की पत्रावली सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष पेश हुई, जिसे उन्होने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.04.2002 से स्वीकार फरमाते हुए अनुसूचित जाति के सदस्य से गैर अनुसूचित जाति के पक्ष मे उक्त बैचान को होना मानते हुए धारा 42–बी का उल्लंधन मानकर वादाधीन भूमि को रकबा राज दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 2 को बेदखल करने के आदेश दिये है, किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2005 से पंजीकृत विक्रयपत्र को धारा 42–बी के उल्लंधन मे नही माना है। तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में अभिलिखित कथनो के आधार पर हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य निर्धारण योग्य बिन्दू यह है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण मे धारा 42–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लंधन हुआ है अथवा नही?

10. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त 1969 ए.आई.आर. (एस.सी.) पेज 597, 2018 आर.बी.जे. पेज 193, 1981 आर.आर.डी. पेज 571, 2001 आर.बी.जे पेज 455 मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जो जातिया अधिसूचना मे अंकित है, उसी जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का सदस्य होना माना जावेगा, अन्य जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का सदस्य होना नही माना जा सकता है, उक्त न्यायिक दृष्टान्तो के अनुसार न्यायालय को केवल इस अधिसूचना के अनुसार ही अनुसूचित जाति का निर्धारण करना है उसमें और कोई छानबीन करने का अधिकार न्यायालय को नही है। चूकि तहसीलदार सूरतगढ ने धारा 175 के मूल प्रकरण में विक्रेता धर्मीराम की जाति हरिजन अंकित कर बतौर साक्ष्य पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.11.1971 की हस्तलिखित प्रति एवं जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029 की प्रति पेश की है किन्तु उक्त दोनो रिकार्ड से विक्रेता की जाति राजस्थान राज्य में अधिसूचित अनुसूचित जाति सिद्ध नही होती है क्योकि विक्रय पत्र में जाति के स्थान पर हिन्दु अंकित है, जो जाति न होकर धर्म है एवं जमाबन्दी में जाति के स्थान पर हरिजन अंकित है तथा हरिजन भी अनुसूचित जाति की अधिसूचना में अंकित नही है। चूकि प्रस्तुत

प्रकरण में विक्रेता धर्मीराम के वारीसान भी उपस्थित हुए है जिन्होने अपने शपथ पत्र, तस्दीकशुद्धा मुख्तारनामे एवं प्रार्थना पत्रो आदि दस्तावेजो में स्वयं की जाति रधुदासिया दर्ज की है और उक्त रधुदासिया जाति भी राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति की सूची में नही आती है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42–बी का उल्लधंन होना नही माना जा सकता है।

11. हमें प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता के इस तर्क मे पूर्ण सार प्रतित होता है कि जब वादग्रस्त भूमि के संबंध में राज्य सरकार का समान दावा समान अधिनियम के तहत् जरिये मिशल संख्या 122/1976 बनवानी "स्टेट बनाम धर्मी" उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा तनकीवार निर्णय दिनांक 27.04.1983 से खारिज किया जा चुका है जिसकी कोई अपील आदि न होने से उक्त निर्णय धारा 42–बी के बाबत् अंतिम भी हो चुका है। इसलिए राज्य सरकार उसी विषय वस्तु के संबंध में पुनः उस मुद्दे को उठाने से विबंधित है तथा इसे रि–ऐजिटेट करने की अनुमति भी राज्य सरकार को प्रदान नही की जा सकती है एवं उक्त निर्णय प्रस्तुत प्रकरण पर रेस–ज्यूडिकेटा **(Principal of Res-Judicata)** के तौर पर लागू होता है तथा इसकी पुष्टि योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तो 1981 आर.आर.डी. पेज 342, 1988 आर.आर.डी. पेज 443, 1989 आर.आर.डी. पेज 625 आदि से भी होती है। योग्य राजकीय अधिवक्ता के इस कथन में कोई बल नही है कि पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 27.04.1983 की प्रमाणित प्रति को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश के बगैर रिकॉर्ड पर लिया है जबकि उक्त निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली पर भी मौजूद है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मात्र इसकी प्रमाणित प्रति को सकारण एवं तर्क सम्मत आदेश से रिकॉर्ड पर लिया है जिसमे कोई कानूनी त्रुटि अन्तर्गस्त नही है इसके अतिरिक्त निर्णय मे सहायक एवं सुसंगत आवश्यक दस्तावेज को किसी भी स्तर पर रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है इसकी पुष्टि न्यायिक दृष्टान्त 1982

आर.आर.डी. पेज 234 से भी होती है जिसमे प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए जो दस्तावेज आवश्यक हो उसे साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर धारा 42–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लंधन होना सिद्ध नही होता है तथा प्रस्तुत प्रकरण रेस–ज्यूडिकेटेड है इसके अतिरिक्त अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद उभय पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त तनकीवार निर्णय व डिक्री पारित करते हुए सही तौर पर अपीलार्थी राज्य सरकार का वादपत्र खारिज किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नही होती है उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2005 विधि सम्मत होने से इसमे हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है।

13. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2005 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सूरजभान जैमन)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास,)
अध्यक्ष